क्रम संख्या–14

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 जनवरी, 2010 ई0

पौष 17, 1931 शक सम्वत्

### उत्तराखण्ड शासन

### विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 25 / XXXVI(3) / 2010 / 85(1) / 2009

देहरादून, 07 जनवरी, 2010

### अधिसूचना

### विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009'** पर दिनांक 07 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय प्रयोजनों और अन्य विषयों के लिए प्रयोग के निमित्त भाषा के रूप में हिन्दी के अंगीकार करने के लिए व्यवस्था करने का–

### अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) में और विषयों के अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के शासकीय प्रयोजनों और ऐसे विषयों के लिए जो इस अधिनियम के आगे चलकर प्रकट होंगे, प्रयोग में लाने के लिए भाषा के रूप में राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा, देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीकृत कर सकता है।

इसलिए भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

1– (1) इस अधिनियम का नाम उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

राज्य में हिन्दी का राजभाषा होना

2–संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना देवनागरी लिपि में हिन्दी का उपयोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में होगा :–

(क) (1) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश;

(2) भारत का संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, राज्य सरकार द्वारा प्रचारित आदेश, अधिसूचना, नियम, विनियम और उपविधि; और

(ख) राज्य के सभी या कोई शासकीय प्रयोजन;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, एतदर्थ साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा राज्य के किसी शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगी।

संस्कृत का प्रयोग

3–संस्कृत भाषा भाषियों के हित में, द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग, ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जायं।

निरसन एवं अपवाद

4. (1) उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा तत्समय उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Official Language Bill, 2009' (Adhiniyam Sankhya 14 of 2010).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 07, 2010).

No. 25/XXXVI(3)/2010/85(1)/2009
*Dated Dehradun, January 07, 2010*

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND OFFICIAL LANGUAGE ACT, 2009

(UTTARAKHAND ACT NO. 14 OF 2010)

*To provide for adoption of Hindi as the languages to be used for the official purposes and other matters of the State of Uttarakhand.*

*WHEREAS, Article 345 and Clause (3) of Article 348 of the Constitution provided inter alia that the Legislature of a State may by law adopt Hindi in Devanagri script as the language to be used for official purposes of the State and for matters hereinafter appearing:*

AN

Act

*Be it enacted by State Assembly in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:--*

Short Title, extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Official Language Act, 2009.

(2) It extends to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Hindi to be Official Language of the State

2. Without prejudice to the provisions of Articles 346 and 347 of the Constitution, Hindi in Devanagri script shall be the language used in respect of the following:--

(a) (1) ordinances promulgated under Article 213 of the Constitution;

(2) orders, notifications. rules regulations and by elaws issued by the State Government under the Constitution of India or under any law made by Parliament or the Legislature of the State; and

(b) all or any of the Official Purposes of the State;

Provided that the State Government may by general of special order in this behalf permit the use of International form of Indian numerals for any Official purpose of the State.

Use of Sanskrit

3. In the interest of Sanskrit speaking people, Sanskrit language shall be used as second Official language for such purposes as may be notified by the State Government from time to time.

Repeal and sharing

4. (1) The Uttar Pradesh Official Language Act, 1951 is hereby repealed in relation to Uttarakhand.

(2) Notwithstanding such repeal specified in sub-section (1), anything done or any action taken under this Act shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
*Secretary.*

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 5 विधायी/32–2010–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।